भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA

UDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

C 011191

संशोधित – ट्रस्ट डीड

मैं हवासिंह आर्य आत्मज श्री बल्लाराम आर्य ग्राम गुडान, तहसील – राजगढ़, जिला – चूरू (राजस्थान) का हूँ। मैंने अपने पूज्नीय पिताजी स्वतन्त्रता सैनानी चौधरी बल्लाराम आर्य की स्मृति में मानव समाज व प्राणी मात्र के कल्याण हेतु "स्वतन्त्रता सैनानी चौधरी बल्लाराम आर्य चेरिटेबल ट्रस्ट चान्दगोठी का गठन कर ट्रस्ट डीड का प्रारूप दिनांक 12–03–2004 को लिख कर उप पंजियन कार्यालय राजगढ़ में पंजिकृत दिनांक 16–03–2004 को करवाया था। जिसका पंजियन दिनांक 16–03–2004 वार मंगलवार को पुस्तक संख्या 04 जिल्द संख्या 13 के पृष्ठ संख्या 262 क्रम संख्या 12 पर पंजीकृत किया गया था। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 04 जिल्द संख्या 17 पृष्ठ संख्या 55 से 61 पर चस्पा किया या। इसके पश्चात एक संशोधित ट्रस्ट डीड दिनांक

अध्यक्ष

स्वतंत्रता सेनानी चौधरी बल्लाराम आर्य

२

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 भारत सत्यमेव जयते INDIA FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN C 011192

09-04-2007 को पुस्तक संख्या 04 जिल्द संख्या 13 पृष्ठ संख्या 364 क्रम संख्या 12 पर पंजिकृत किया गया। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 04 जिल्द संख्या 20 पृष्ठ संख्या 56 से 60 पर चस्पा किया गया।

स्वतन्त्रता सैनानी चौधरी बल्लाराम आर्य चेरिटेबल ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण ने ट्रस्ट की बैठक दिनांक 15-09-2009 को सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया कि पूर्व में लिखित व पंजिकृत "स्वतन्त्रता सैनानी चौधरी बल्लाराम आर्य चेरिटेबल ट्रस्ट की मूल पंजिकृत ट्रस्ट डीड" में आवश्यक संशोधन किया जाकर ट्रस्ट डीड का पुनः पंजियन करवाया जावे। पूर्व में पंजिकृत ट्रस्ट डीड के स्थान पर यह संशोधित ट्रस्ट डीड ही भविष्य में मान्य व वैध रहेगी। पूर्व ट्रस्ट डीड का कोई अस्तित्व कानूनन नहीं होगा। वह पूर्णतः शून्य व प्रभावहीन मानी जावेगी।

<u>ट्रस्ट डीड का प्रारूप :-</u>

मैं हवासिंह आर्य आत्मज श्री बल्लाराम आर्य ग्राम गुडान पोस्ट नवां तहसील राजगढ़ जिला चूरू, राजस्थान का हूँ। मेरे पिताजी श्री बल्लाराम

अध्यक्ष
स्वतंत्रता सैनानी चौधरी बल्लाराम आर्य
चेरिटेबल ट्रस्ट ... (चूरू) राज.

आर्य बीकानेर रियासत के प्रमुख स्वतन्त्रता सैनानी रहे है। मेरे जीवन की शिक्षा दीक्षा में आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो विश्व की एक महान समाज सुधारक संस्था है। तथा देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आर्य समाज के सन्यासी हृदय सम्राट स्वामी इन्द्रवेश जी मेरे प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे है। जिनकी सद्प्रेरणा से मैं आर्य समाज की विचारधारा को जन–जन तक पहुँचाने का प्रयास करता रहूंगा। देशभक्ति समाज सेवा व सामाजिक कुरूतियों को दूर करने का प्रयास जीवन पर्यन्त करता रहूंगा। मैंने परोपकार व समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री बल्लाराम आर्य की स्मृति में इस ट्रस्ट का गठन दिनांक 12 मार्च 2004 को करके उसका पंजियन दिनांक 16 मार्च 2004 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय राजगढ़ में करवाया था। जिसको संशोधित कर आज नई ट्रस्ट डीड लिख कर पंजिकृत करवा रहा हूं। तत् सम्बन्धी घोषणा और स्पष्टीकरण निम्नानुसार है।

मानव समाज व प्राणी मात्र के कल्याण हेतु ऐसे समस्त कार्य करने के प्रयास करेगें जिससे समाज के पिछड़े व उपेक्षित वर्ग को उच्चा उठाने, शोषित व पीड़ितों को नया जीवनदान देने, शराब, दहेज प्रथा, मृत्युभोज, कन्या भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा, छूआछूत जातिपांति का भेदभाव जैसी सामाजिक बुराईयों को दूर करने अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, युवा वर्ग के चरित्र निर्माण अच्छे संस्कार

पैदा करने व सही मार्ग दर्शन देने के लिए इस ट्रस्ट की स्थापना की गई है।

देश के स्वतन्त्रता सैनानियों ने स्वाधीनता के लिए जो संघर्ष किये व बलिदान दिये हैं उनसे प्रेरणा लेकर व मेरे पिताजी जो बीकानेर रियासत के प्रमुख स्वतन्त्रता सैनानी रहे है उनके सामाजिक हित व मानव मात्र के कल्याण हेतु किये गये कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के लिए इस ट्रस्ट का नाम मैने "स्वतन्त्रता सैनानी चौधरी बल्लाराम आर्य चेरिटेबल ट्रस्ट" रखा है। तथा ट्रस्ट संस्थापक व संरक्षक की हैसीयत से मैनें 5000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) ट्रस्ट के कोष में जमा करवाये थे।

1. ट्रस्ट का नाम व पंजिकृत कार्यालय :–

इस ट्रस्ट का नाम मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर "स्वतन्त्रता सैनानी चौधरी बल्लाराम आर्य चेरिटेबल ट्रस्ट" चान्दगोठी तहसील राजगढ़ जिला चूरू है व रहेगा।

2. ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय :–

इस पंजिकृत ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय गांव चान्दगोठी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में है व रहेगा। ट्रस्ट के कार्य विस्तार की दृष्टि से आवश्यकतानुसार राजस्थान व भारत देश के किसी भी शहर या कस्बे में प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त शाखा कार्यालय भी खोले जा सकेगें।

Ealiun

स्वतंत्रता ... आर्य
चेरिटेबल ... (चूरू) राज.

3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र :–

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र वर्तमान में सम्पूर्ण राजस्थान राज्य रहेगा। आवश्कतानुसार भारत के किसी भी भाग में ट्रस्ट कार्य करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

4. ट्रस्ट के प्रमुख उद्देश्य :–

(i) ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य स्वतन्त्रता सैनानियों द्वारा स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने वाले सैनानियों से उपलब्ध महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रह करना, पुराने अभिलेखों का संग्रह तथा जीवित स्वतन्त्रता सैनानियो से जानकारी प्राप्त कर उसे साहित्य के रूप में प्रकाशित करना, संग्राहलय बनाना, जनसाधारण व आधुनिक साधनों के द्वारा स्वतन्त्रता सैनानियों की गाथाओं को प्रचारित व प्रसारित कर नैतिक सदाचारण एवं सत्त प्रवृतियों का प्रसार व विस्तार करना।

(ii) ट्रस्ट ऐसे समस्त कार्य करने का प्रयास करेगा जिससे समाज के पिछड़े, उपेक्षित, अशक्त व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा विशेषकर महिला वर्ग के लिए शिक्षा; उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा एवं तकनीकि शिक्षा दिये जाने हेतु विद्यालयों व महाविद्यालयों की स्थापना करना।

(iii) मानव समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु ऐसे समुचित प्रयास करना जिससे निरक्षरता खत्म हो सकें तथा बालक व बालिकाओं को अच्छी

शिक्षा प्रदान कर समाज को ऊँचा उठाने में अपनी मुख्य भूमिका निभा सकें। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट आवश्यकतानुसार बालक/बालिकाओं के विद्यालय उच्च शिक्षा व्यवसायिक व तकनीकि शिक्षा दिये जाने हेतु महाविद्यालयों व प्रशिक्षण विद्यालयों/महाविद्यालयों की स्थापना करेगा।

(iv) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार हेतु छूत की बीमारियों की रोकथाम के लिए सतत् प्रयास करना, बीमारियों के निराकरण के लिए आधुनिक चिकित्सालयों, आर्युवेदिक एवं होम्योपैथी औषधालयों की स्थापना कर उनका संचालन करना तथा इनसे सम्बन्धित नर्सिग प्रशिक्षण, ग्रामीण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, जी.एन.एम., लैब, एक्सरे, पैरामेडीकल कोर्सेज डी फार्मा, बी फार्म तथा नर्सिग कॉलेज व फार्मेसी कॉलेज आदि की स्थापना कर उनका संचालन करना।

(v) ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, जनजाति, भूमिहीन, लघु व सीमान्त कृषकों, समाज के पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवक/युवतियों के कल्याणार्थ विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं, तकनीकि, व्यवसायिक, प्रक्षिशण केन्द्रों व कृषि शिक्षा देने हेतु बालक/बालिकाओं के लिए कृषि विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना करना व संचालित करना तथा जल संसाधनों के समुचित उपयोग एवं जल संरक्षण पुर्नभरण हेतु योजनाओं व कार्यशालाओं का आयोजन करना।

(vi) मानव समाज के पुर्नउत्थान एवं युवा वर्ग के चरित्र निर्माण के लिए अच्छे साहित्यक ग्रंन्थों का संग्रह करना, पुस्तकालयों वाचनालयों, योग केन्द्रों व्यायाम शालाओं व जीम केन्द्रों की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी आर्थिक दृष्टि से कमजोर व गरीबी की रेखा से नीचे के वर्ग की महिलाओं पुरूषों के आय स्तर में वृद्धि करने हेतु रोजगार के अवसर प्रदान करना, लघु उद्योंगो औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों, कुटीर उद्योगों, दस्तकारी व प्रशिक्षण केन्द्रों, कुटीर व लघु उद्योगों, दस्तकारी व बुनयादी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर व संगोष्ठी वाकपीठ व अन्य आधुनिक स्रोतों के द्वारा प्रचार प्रसार कर बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना।

(viii) ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति भूमीहीन, लघु व सीमान्त कृषकों, समाज के प्रत्येक पिछड़े व कमजोर वर्गों व महिलाओं बेरोजगार युवक/युवतियों के कल्याणार्थ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना, तथा गंदी बस्तीयों में सफाई रोशनी, शौचालयों, पीने के पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुधार, सिचाई व सामुदायिक विकास योजना प्रारम्भ कर जन साधारण को लाभान्वीत करना।

(ix) ग्रामीण क्षेत्रों में लोक महत्व के कार्यक्रमों, सांस्कृतिक, प्रशिक्षण शिवरों द्वारा सामाजिक बुराईयों, नैतिक उत्थान के लिए सुधार शिवरों द्वारा सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए प्रयास करना तथा उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय, महाविद्यालयों की स्थापना करना, बुनियादी शिक्षा व सामुदायिक विकास योजना प्रारम्भ करना कृषि के उत्पादन में विस्तार हेतु लघु सीमान्त, शिल्पी हस्तकला, दस्तकारों व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो के हितार्थ आवश्यकतानुसार वित्तिय योजनाऐं प्रारम्भ कर उन्हें लाभ पहुंचाना।

(x) देव भाषा संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु बालक/बालिकाओं के विद्यालयों की स्थापना करना। उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की स्थापना करना व व्यवसायिक शिक्षा हेतु प्रशिक्षण विद्यालयों व प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना करना, संस्कृत सम्भाषण शिवरों का आयोजन व प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से प्रचार व प्रसार करना व विभिन्न प्रकार के ग्रन्थों का संग्रह करना।

(xi) मानव समाज के गरीब, असहाय, निराश्रित, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षा के सामान अवसर उपलब्ध करवाते हुये अलग–अलग छात्रावासों की स्थापना कर समुचित व्यवस्था, सुविधाऐं उपलब्ध करवाना तथा इनका संचालन करना। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, समाज

कल्याण बोर्ड व विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग से आर्थिक सहयोग प्राप्त करना।

(xii) समाज के अशिक्षित व निराश्रित पुरूषों व महिलाओं को उचित संरक्षण देने के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

(xiii) महिलाओं के कल्याणार्थ नारी सुधार गृह, नारी निकेतन गृहों की स्थापना कर उन्हें संरक्षण देना तथा विकलांग, मन्दबुद्धि, अनाथ, युवक/युवतियों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध करवाकर समाज में सम्मानजनक स्थान दिलवाने हेतु अनाथालयों, शिक्षणालयों की स्थापना करना।

(xiv) शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति लाने हेतु उच्च शिक्षा व व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों व महाविद्यालयों की स्थापना करना, तकनीकि शिक्षा को बढ़ावा देना व मान्य (डीम्ड) विश्वविद्यालयों व विश्वविद्यालय स्थापित करना, मेडिकल कॉलेज, आर्युवेदिक कॉलेज, पशुचिकित्सालय, चिकित्सालय आर्युवेदिक चिकित्सालय आधुनिक व हौम्योपैथिक चिकित्सालय, डैन्टल कॉलेज व इनके प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु संस्कृत शिक्षक–प्रशिक्षण विद्यालयों व महाविद्यालयों की स्थापना करना व

बालक / बालिकाओं को सुविधा देने के लिए आवासिय विद्यालयों / महाविद्यालयों को प्रारम्भ करना।

(xv) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत फसलों के बीज तैयार करना, पौधे बनाना, बगीचे लगाना व फल फूलों का उत्पादन करने के लिए कृषि फार्मो का निर्माण करना व उनका उत्पादन बढ़ाना।

(xvi) पशुधन के संरक्षण के लिए डेयरी उद्योगों की स्थापना करना। गौधन के संरक्षण के लिए गौशालाओं की स्थापना करना व भूमि व असहाय पशुओं के जीवन की सुरक्षा हेतु चारा डीपोओं की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

(xvii) ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र व कस्बों में जन साधारण की सुविधाओं के लिए रात्रि विश्राम गृहों का निर्माण करना, धर्मशाला, गेस्ट हाऊस, अतिथि गृहों का निर्माण कर जन साधारण को सुविधाऐं उपलब्ध करवाना।

(xviii) मानव समाज में फैली सामाजिक, बुराईयों जैसे मृत्युभोज, दहेज प्रथा, शराबखोरी, बालविवाह तथा अन्य अन्धविश्वासों को दूर करने कें लिए सुधार शिवरों / सुधारवार्ताओं व संगोष्ठीयों का आयोजन करना।

(xix) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, कर्पाट, विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में सहयोग करना तथा उनकी मांग पर दक्ष कर्मियों की संविदा, पारिश्रमिक, मानदेय पर आपूर्ति करना तथा राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने पर उन संचालित योजनाओं की उपलब्धी का जनशुमारी द्वारा उपलब्ध संसाधनों से उपलब्धता प्रतिशत का आकंलन करना।

उपरोक्त समस्त उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु जन सहयोग, दान, चन्दा व अन्य भौतिक संसाधनों के लिए जन प्रतिनिधियों, समाज कल्याण विभाग, मानव संसाधन, विकास मंत्रालय, राज्य व केन्द्र सरकार से सम्पर्क कर आर्थिक व अन्य सहयोग प्राप्त किया जावेगा।

इस ट्रस्ट के उपरोक्त उद्‌देश्यों की पूर्ति में कोई व्यक्तिगत लाभ निहित नहीं होगा। समस्त उद्‌देश्यों की पूर्ति मानव समाज व प्राणीमात्र के कल्याणार्थ ही लाभान्वित की अपेक्षा ट्रस्ट का जन कल्याण ही मूल उद्‌देश्य है। भविष्य में आवश्यकतानुसार यह ट्रस्ट अपनी गतिविधियों के निर्बाध संचालन हेतु विधिपरक आवश्यक नियम/उपनियम बनाने के लिए स्वतन्त्र होगा। तथा उनमें समयानुसार परिर्वधन व परिर्वतन करता रहेगा।

(5) ट्रस्टीयों की श्रेणी :–

ट्रस्ट के सदस्यों की दो श्रेणीयां होगी। एक स्थाई तथा दूसरी अस्थाई। ट्रस्टी नं. 01 से 06 तक स्थाई ट्रस्टी होगें जिनका ट्रस्ट बोर्ड कहलायेगा। ये मुख्य ट्रस्टी होगें।

1. हवासिंह आर्य पुत्र श्री बल्लाराम आर्य निवासी गुडान तह. राजगढ़, जिला चूरू संस्थापक ट्रस्टी।
2. श्रीमती मायाकौर पत्नि श्री हवासिंह आर्य निवासी गुडान तह. राजगढ़, जिला चूरू।
3. श्री वेदपाल आर्य पुत्र श्री हवासिंह आर्य निवासी गुडान तह. राजगढ़, जिला चूरू।
4. श्री जयपाल आर्य पुत्र श्री हवासिंह आर्य निवासी गुडान तह. राजगढ़, जिला चूरू।
5. श्रीमती कान्ता पत्नि श्री जयपाल आर्य निवासी गुडान तह. राजगढ़, जिला चूरू।
6. श्रीमती अनिता चौधरी पत्नि श्री वेदपाल आर्य निवासी गुडान तह. राजगढ़ जिला चूरू।

मुख्य ट्रस्टीयों के कार्य करने में असमर्थ होने, त्याग पत्र देने अथवा उनकी मृत्यु होने के पश्चात इनके स्थान पर इनके लीगल उत्तराधिकारी जिसे अध्यक्ष ट्रस्ट बोर्ड मनोनित करेगा, इनका स्थान ग्रहण करते रहेगें। यदि आवश्यकता महसूस होगी तो ट्रस्ट बोर्ड सर्व सम्मति से तीन अस्थाई सदस्यों का मनोनयन कर सकेगा। ट्रस्टी नं. 1 जो संस्थापक ट्रस्टी और न्यास कर्ता है ट्रस्ट का आजीवन अध्यक्ष व संरक्षक रहेगा। अन्य

पदाधिकारियों का मनोनयन अध्यक्ष महोदय के द्वारा ही किया जायेगा। यह मनोनयन स्थाई सदस्यों में से ही हो सकेगा। ट्रस्ट बोर्ड द्वारा अस्थाई मनोनित सदस्यों को लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहने, ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरित गतिविधियों करने व ट्रस्ट बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से लिए गये निर्णयानुसार हटाने का अधिकार ट्रस्ट बोर्ड को होगा।

ट्रस्ट के अध्यक्ष के कार्य करने में असमर्थ होने, त्याग पत्र देने या उनकी मृत्यु होने की स्थिती में उनके पुत्र वेदपाल ट्रस्टी नं. 3 व जयपाल ट्रस्टी नं. 4 आजीवन ट्रस्ट के अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करेंगे। यदि कालान्तर में दोनों ट्रस्ट के संचालन में तकनीकि कठिनाई अनुभव करें तो दोनों सर्व सम्मति से आजीवन एक अध्यक्ष व दूसरा महामंत्री का दायित्व वहन करेंगे। तथा बैंक से लेन देन, खाता खुलवाना, मियादी जमा करवाना, बैंक में रूपये जमा करवाना, निकलवाना दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से ही होगा। तथा दोनों सर्व सम्मति से ही वितिय निर्णय लेने में सक्षम होगें।

मनोनित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होगा। पांच वर्ष के पश्चात पुनः इन्हें या अन्य व्यक्तियों को जो ट्रस्ट के सिद्धान्तों व उद्देश्यों में आस्था रखता है ट्रस्टी मनोनित किया जा सकेगा। अस्थाई सदस्यों को हटाने पर वह किसी भी प्रकार का उदर व दावा कहीं प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। यह विशेष अधिकार ट्रस्ट बोर्ड को प्राप्त होगा कि वह अस्थाई सदस्य को कभी भी सर्व सम्मति से निर्णय लेकर ट्रस्ट की सदस्यता से पृथक कर सकेगा।

ट्रस्ट का अधिकार क्षेत्र एवं क्रिया विधि :–

ट्रस्ट अपने पूर्ण वर्णित उदेश्यों की पूर्ति हेतु दान, चन्दे के रूप में आवश्यक संसाधन जुटायेगा। वह राज्य/केन्द्र सरकार, समाज कल्याण विभाग एवं जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क कर वित्तिय सहायता भी प्राप्त करेगा। ट्रस्ट को अपने कार्यक्षेत्र के विस्तार के क्रम में विभिन्न विभागीय प्रबन्ध समितियों के गठन करने का अधिकार होगा। ये प्रबन्ध समितियां ट्रस्ट के अधिकार में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्बन्धीत विभागीय नियमों/विनियमों के अन्तर्गत कार्य करेगी। अतः विभागीय प्रबन्ध समितियों के गठन करने के साथ उनको भंग करने, पुर्नगठन करने का अधिकार भी ट्रस्ट को होगा। कोई भी प्रबन्ध समिति का सदस्य व पदाधिकारी सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध कार्य करता है। नैतिक आचरण भ्रष्ट होता है अथवा सजा प्राप्त करता है, लगातार दो बैठकों में भाग नहीं लेता है, विदेश चला जाता है तो उस सदस्य को हटाने व उसके स्थान पर नवीन सदस्य मनोनित करने का ट्रस्ट को अधिकार होगा। इसके साथ ही निर्धारित समय पर समितियों के चुनाव करना एवं उनके गठन करने का अधिकार भी ट्रस्ट को होगा। किन्तु उनके आय व्यय के लेखे जोखे के हिसाब का अंकन सम्बन्धित प्रबन्ध समिति, ट्रस्ट के द्वारा संस्थान हेतु नियुक्त कर्मचारी से करवायेगी। संस्थान की प्रबन्ध समिति सम्बन्धित संस्थान के संचालन के लिए स्वयं भी ट्रस्ट की स्वीकृति से अथवा उसकी निगरानी में दान अथवा चन्दा प्राप्त कर सकेगी। उक्त दान एवं चन्दे को ट्रस्ट के कोष में जमा करवायेगी। तथा उसे आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट अध्यक्ष की आज्ञा से उपयोग कर सकेगी। ट्रस्ट द्वारा समस्त संस्थानों के लेखें, जोखे की जांच, ट्रस्ट जब भी करना चाहेगा कर सकेगा। तथा उन संस्थानों के सम्बन्धित पदाधिकारी ट्रस्ट द्वारा हिसाब मांगने पर ट्रस्ट के

सम्मुख समस्त लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। एक से अधिक संस्थान होने की स्थिती में या आवश्यकता पड़ने पर ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों / विनियमों के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन भी करवा सकेगा। परन्तु ऐसी समस्त समितियों का संचालन भी ट्रस्ट के अधीन ही होगा। उक्त समितियों का गठन ट्रस्ट सर्व सम्मति से अथवा बहुमत से करेगा।

ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त संस्थानों का बैंक में पृथक से खाता खोला जा सकेगा। लेकिन उक्त संस्थान को बैंक में खाता खोलने, लेन देन करने, सावधी जमा करवाने, ऋण लेने हेतु ट्रस्ट के अध्यक्ष से स्वीकृति लेनी होगी तथा ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा लेन देन प्रमाणित करने पर ही बैंक से लेन देन की प्रक्रिया हो सकेगी। संस्थान के अधिकारी/पदाधिकारी व ट्रस्ट के अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से ही लेन देन करने का अधिकार संस्थान को होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थान पूर्णतः ट्रस्ट के अधीन रहेगा। तथा स्वतन्त्रता पूर्वक कोई भी गतिविधि व लेन देन ट्रस्ट की स्वीकृति के बिना करने का अधिकार नहीं होगा।

ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थानों व संस्थानों में कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उन्हें हटाना, वेतन निर्धारित करना तथा एक संस्थान से दूसरे संस्थान में कर्मचारियों का स्थानान्तरण करना ये सब अधिकार ट्रस्ट अध्यक्ष में ही निहित होंगे। कोई भी ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थान ट्रस्ट की स्वीकृति के बिना न तो किसी कर्मचारी को नियुक्त करेगा व नहीं हटा सकेगा। वेतन निर्धारण का व एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानान्तरण करने का अधिकार भी सम्बन्धित संस्थान की प्रबन्ध समिति/पदाधिकारियों को नहीं हो सकेगा। बल्कि वह ट्रस्ट से लिखित में अनुरोध कर स्वीकृति प्राप्त होने पर ही ऐसा कर सकेगा।

यह ट्रस्ट अपने को विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत आयकर विभाग व अन्य सरकारी विभाग में आवश्यकतानुसार पंजिकृत स्वीकृत करवायेगा। तथा आयकर आदि में मनोवांछित रिर्टन समय–समय पर दाखिल करता रहेगा। तथा भविष्य में अन्य लागू होने वाली कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करता रहेगा।

ट्रस्ट अपने उदेश्यों की पूर्ति के लिए भवन निर्माण करवा सकेगा तथा मकान भी किराये पर ले सकेगा। ट्रस्ट द्वारा निर्मित सम्पति का कोई भी व्यक्तिगत उपयोग व उपभोग नहीं कर सकेगा। तथा न ही सम्पति कोई बेच सकेगा अथवा खुर्द बुर्द कर सकेगा। यदि ट्रस्ट के पक्ष में आंशिक रूप से ऐसा करने की आवश्यकता होगी तो ट्रस्ट बोर्ड की बैठक में निर्णय पारित कर ही बिक्री की जा सकेगीं सम्पति को किराये पर देने व लेने, लीज पर देने व लेने या बंधक रखने आदि के लिए ट्रस्ट की बैठक में निर्णय पारित कर ही कार्यवाही की जा सकेगी। तथा इन सब के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष अधिकृत होंगे।

सम्पति का निर्माण व रख रखाव जो भी ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए होगा किया जा सकेगा। ट्रस्ट की समस्त सम्पति व लेखा जोखा रखने हेतु एक स्टॉक रजिस्टर होगा जिसमें सम्पतियों का पूर्ण विवरण समय–समय पर अंकित होता रहेगा। ट्रस्ट अध्यक्ष अपने व उसके अधिन संचालित संस्थानों के लिए कर्मचारियों की निर्धारित प्रक्रिया से मानदेय/पारिश्रमिक/वेतन पर नियुक्ति कर सकेगा। ट्रस्ट अपने उदेश्यों की पूर्ति के लिए समीपवर्ती/सुदुरवर्ती क्षेत्रों में प्रचारात्मक रचनात्मक एवं सुधारात्मक गतिविधियों को अग्रसर करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। तथा समान उद्धेश्य व विचारधारा वाली पंजिकृत समितियों का विलय भी यदि

समिति/ट्रस्ट स्वयं चाहेगी तो उसको ट्रस्ट के अधिन लिया जा सकेगा। विलय की गई समिति की समस्त सम्पति व अधिकार ट्रस्ट के अधीन रहेंगे। एवं ट्रस्ट उस समिति/ट्रस्ट के अधीन संचालित संस्थानों का संचालन नियमों/विनियमों के अर्न्तत करता रहेगा। इस प्रकार ट्रस्ट के अधिन रजिस्टर्ड प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित कोई भी संस्थान संचालन में असफल रहता है तो उसकी समस्त चल/अचल सम्पति ट्रस्ट के अधीन हो जायेगी। तथा ऐसे संस्थानों को निर्धारित क्रिया विधि द्वारा बन्द किया जा सकेगा। यदि ऐसे संस्थान संचालन की स्थिति में होंगे तो ट्रस्ट उसका नियमों/विनियमों के अन्तर्गत संचालन करेगा।

ट्रस्टीयों के अधिकार :–

ट्रस्ट का ट्रस्टी नं. 1 प्रमुख ट्रस्टी होगा जो आजीवन ट्रस्ट का अध्यक्ष रहेगा। तथा ट्रस्ट की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। व निर्णायक मत देने का अधिकारी होगा। ट्रस्ट के स्थाई सदस्यों की बैठक तीन माह से होगी। तथा ट्रस्ट के समस्त सदस्यों की बैठक वर्ष में एक बार होगी या आवश्यकतानुसार होती रहेगी। ट्रस्टीगण समय–समय पर पारस्परिक सहयोग से अपनी गतिविधियों व कार्य व्यवस्थाओं का निर्धारण करते रहेगें।

ट्रस्ट प्रबन्ध बोर्ड के पदाधिकारी :–

ट्रस्ट में निम्नलिखित तीन पदाधिकारी होगें।

1. अध्यक्ष एवं संरक्षक एक
2. महामंत्री एक
3. कोषाध्यक्ष एक

ट्रस्ट में उक्त तीन पद होंगे। इन तीनों पदों पर ट्रस्ट संस्थापक सदस्य की हैसियत से मैं निम्नलिखित स्थाई/अस्थाई सदस्यों को उनके पद के लिए अधिकृत करता हूं। अध्यक्ष का कार्यकाल आजीवन रहेगा। शेष दोनों पदाधिकारियों का कार्यकाल पांच वर्ष का रहेगा। पांच वर्ष बाद ट्रस्ट अध्यक्ष स्थाई/अस्थाई सदस्यों में नये पदाधिकारियों को मनोनित कर सकेगा। या इन्हें ही पुनः रखने हेतु अनुमोदित कर सकेगा।

1. अध्यक्ष – श्री हवासिंह आर्य पुत्र श्री बल्लाराम आर्य
गांव गुडान, तहसील – राजगढ़, जिला चूरू
2. महामंत्री – जयपाल पुत्र श्री हवासिंह आर्य
गांव गुडान, तहसील – राजगढ़, जिला चूरू
3. कोषाध्यक्ष – अनिता चौधरी पत्नी श्री वेदपाल आर्य
गांव गुडान, तहसील – राजगढ़, जिला चूरू

इसके अतिरिक्त ट्रस्ट बोर्ड आवश्यकता महसूस करने पर व प्रशासनिक सुधार हेतु एक पद कार्यकारी सचिव का भी निर्धारित किया जा सकेगा जो कार्यमूल्यांकन आधार पर मासिक मानदेय/पारिश्रमिक निर्धारित कर सकेगा तथा कार्य विस्तार होने पर इसका पुर्ननिर्धारण किया जा सकेगा। उक्त निर्णय ट्रस्ट बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से या बहुमत से कर सकेगें।

पदाधिकारियों का कार्यक्षेत्र व अधिकार :–

1. अध्यक्ष – ट्रस्ट का ट्रस्टी नं. 1 जो ट्रस्ट का संस्थापक ट्रस्टी है ट्रस्ट का आजीवन अध्यक्ष एवं संरक्षक रहेगा। वह ट्रस्ट की बैठकों की अध्यक्षता करेगा व निर्णायक मत देने का अधिकारी होगा। ट्रस्ट के स्थाई सदस्यों

की बैठक तीन माह में होगी तथा ट्रस्ट के समस्त सदस्यों की साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार होगी आवश्यकता होने पर दोनों प्रकार की बैठक अधिक बार भी बुलाई जा सकती है। ट्रस्ट अध्यक्ष सुविधानुसार तिथि निर्धारित कर उक्त बैठको के लिए महामंत्री या कार्यकारी सचिव के माध्यम से सदस्यों को आहुत करेगा। अध्यक्ष बैठक के लिए सचिव के माध्यम से एक सप्ताह पूर्व, तीन दिन पूर्व या चौबीस घण्टे पूर्व प्रत्येक सदस्यों को लिखित या दूरभाष से सुचना देगा। ट्रस्ट अध्यक्ष बैठक का एजेण्डा, महामंत्री के साथ विचार विमर्श कर निर्धारित करेगा। समय की मांग के अनुसार या परिस्थितिवश ट्रस्ट अध्यक्ष को यह विशेष अधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के हित में स्वविवेक से कोई भी निर्णय लेने में सक्षम होगा। किन्तु उसे बाद में ट्रस्ट बोर्ड की बैठक में पारित करवाना होगा। किसी भी बैठक का न्यूनतम कोरम ⅓ होगा यदि किसी बैठक में एक तिहाई कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक आगे की तिथि के लिएं स्थगित की जा सकेगी। स्थगीत तिथि पर आयोजित बैठक में निर्णय बहुमत या सर्व सम्मति से किया जा सकेगा। मतदान की स्थिति में मतों के बराबर होने पर अध्यक्ष को दूसरा मत देने का अधिकार होगा।

ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त संस्थानों व ट्रस्ट के कार्य के लिए ट्रस्ट अध्यक्ष मानदेय / पारिश्रमिक / वेतन पर कर्मचारी / सहयोगी नियुक्त कर सभी के प्रशासनीक व कानूनी निर्णय भी ट्रस्ट अध्यक्ष करेगा। तथा समस्त प्रकार के पत्रव्यवहार भी ट्रस्ट अध्यक्ष के नाम से ही होगें। सम्पति का निर्माण रख रखाव जो भी ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए होगा ट्रस्ट अध्यक्ष करेगा। ट्रस्ट के अधीन संचालित समस्त संस्थानों का प्रशासनिक एवं लेन देन सम्बन्धी नियन्त्रण ट्रस्ट अध्यक्ष ही होगा। वह जब चाहे इन संस्थानों का निरिक्षण एवं उनके लेखे जोखे की जांच कर सकेगा।

ट्रस्ट के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट कोष में प्राप्त होने वाली धन राशि को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोलकर जमा करा सकेगा व निकलवा सकेगा। ट्रस्ट को आवश्यकता होने पर उसकी सम्पति को बन्धक रख कर ट्रस्ट हित में ऋण ले सकेगा व ट्रस्ट की सम्पति को किराये पर लीज पर देने का अधिकार भी ट्रस्ट अध्यक्ष को प्राप्त होगा। बैंक से लेन देन के लिए ट्रस्टी नं. 1 ट्रस्ट का अध्यक्ष पूर्णतः अधिकृत होगा।

2. महामंत्री :–

ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के निरीक्षण व उनकी जांच करने के लिए अधिकृत होगा। तथा ट्रस्ट की सम्पति का भी रख रखाव करेगा। अध्यक्ष व ट्रस्टीयों के माध्यम से ट्रस्ट कार्य हेतु धन व अन्य संसाधन जुटायेगा। यह भी ध्यान रखेगा की ट्रस्ट की सम्पति का कोई दुरूपयोग या अपने निजि हित के लिए तो कोई उपयोग नहीं कर रहा है। या उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। अध्यक्ष के प्रत्येक कार्य में पूर्ण सहयोग करेगा। ट्रस्ट बैठक हेतु नोटिस जारी कर सकेगा।

3. कोषाध्यक्ष :–

ट्रस्ट कोष में प्राप्त होने वाली समस्त धन राशि का पूर्णतः लेखा जोखा रखेगा। बिल व वाऊचर सुरक्षित रखेगा तथा आय व्यय के हिसाब को समय समय पर ट्रस्ट अध्यक्ष से प्रमाणित करवायेगा। रोकड़ पंजिका व लेजर बुक का संधारण करेगा। तथा अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से ट्रस्ट फण्ड हेतु राशी निकालने व जमा करवाने में अपना सहयोग प्रदान करेगा।

<u>ट्रस्टीयों के अधिकार :–</u>

ट्रस्टीगण समय समय पर पारस्परिक सहयोग से अपनी गतिविधियों एवं कार्य व्यवस्थाओं का निर्धारण करते रहेंगे। समस्त ट्रस्टी यह भी ध्यान रखेंगे कि ट्रस्ट की बैठकों में दो तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षार होने आवश्यक है। साधारण सभा में ट्रस्टीगण ट्रस्ट के आय व्यय का हिसाब भी देख सकेगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे की ट्रस्ट के हिसाब किताब का निरीक्षण अधिकार प्राप्त निरिक्षक से किया गया या नहीं। इसमें अपना सुझाव / प्रस्ताव बैठक में दे सकेंगे।

ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण सबसे प्रथम ट्रस्ट सदस्य है। पदाधिकारी बाद में है। अतः प्रत्येक ट्रस्टी का यह कर्त्तव्य है कि वह ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्यनशील रहेगा। तथा आवश्यक संसाधन पूरा रखेगा एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करवाने में अध्यक्ष की सहायता करेगा। प्रत्येक ट्रस्टी के लिए ट्रस्ट का हित प्रथम होगा।

संस्थापक ट्रस्टी की हैसियत से आशा की गई है कि ट्रस्टीगण परस्पर विवाद नहीं करेंगे। किसी भी ट्रस्टी के द्वारा उद्देश्यों के विपरीत आचरण करने व ट्रस्ट के उद्देश्यों को ठेस पहुंचाने व अपराधिक गतिविधियों में भाग लेने पर ट्रस्ट की सदस्यता से हटाया जा सकेगा। नये ट्रस्टीयों का निर्वाचन या मनोनयन का आधार प्रतिष्ठा सम्पन्नता न होकर सेवा भावना, मिश्नरी निष्ठा उच्च चरित्र व समाज सुधार की भावना होगा।

–: घोषणा :–

स्वतन्त्रता सैनानी चौधरी बल्लाराम आर्य चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मैं हवासिंह आर्य यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सभी निर्धारण मैने स्वयं स्वस्थ मन स्थिति से बिना किसी बाहरी दवाब के संस्थापन ट्रस्टी की हैसियत से आज दिनांक 9/11/2009. को लिखे है। प्रस्तुत किये।

साख हरपाल सिंह

हवासिंह आर्य

1. हरपाल सिंह पुत्र मोहर सिंह जाति जांगिड़ निवासी गुडन तह० राजगढ़ जिला चुरु

2. जितेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी वार्ड न०10 कस्बा राजगढ़ जिला चुरु.